

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1263)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती पंकज सुखाड़िया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिवाणा, खण्ड जालोर, जिला जालौर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 17.10.2016 से 16.10.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 17.10.2018 से 13.02.2019 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 14.02.2019 से 16.10.2019 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

—Sd—

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1263)/2018/ 1690

दिनांक:- 28/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड जालोर (जालौर)।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर जिला जालौर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर